



## सीएसआईआर - भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान

### CSIR - INDIAN INSTITUTE OF CHEMICAL BIOLOGY

4, Raja S.C. Mullick Road, Kolkata - 700032

4, Raja S.C. Mullick Road, Kolkata - 700032



अचल संपत्ति का विवरण को वर्ष /

STATEMENT OF IMMOVABLE PROPERTY FOR THE YEAR

2016 / २०१६

दिनांक / AS ON

31 दिसंबर / 31<sup>st</sup> December

अधिकारी का नाम /

M. VINESHWARAN

वर्तमान वेतन / Present Pay

16140/-

Name of the Officer:

कर्मचारी पहचान संख्या / Employee Id

552

वर्तमान पद / Present Post held

TECHNICAL ASSISTANT

जिला, सब डिवीजन, तालुका और गांव का नाम जहाँ संपत्ति है। Name of District, Sub Division, Taluk and Village in which the property is situated.	संपत्ति, आवासीय भूमि और अन्य भवनों आदि का नाम व ब्यौता। Name and details of property, Housing lands & other buildings	वर्तमान मूल्य / Present Value	यदि संपत्ति अपने स्वयं के नाम नहीं है तो बताएं कि किसके नाम से है तथा उससे साकारी कर्मचारी का संबंध क्या है? / If not in own name, state in which name held & his/her relationship to Govt. Servant.	संपत्ति कैसे अर्जित की गई? क्या खरीदी गई, चूटे चर ली गई, बंधन, उत्तराधिकार, उपहार अथवा किसी अन्य नीति से ली गई / तरफ़ि जिसको अधिका से ली गई तथा उस व्यक्ति का नाम लिखें ली गई। How acquired? Whether by purchase, lease, mortgage, inheritance, gift or otherwise with date of acquisition and name with details of persons from whom acquired.	संपत्ति से वार्षिक आय / Annual Income from the property.	अध्यक्षितया / Remarks
NIC	NIC	NIC	NIC	NIC	6.	NIL
		3.	4.	5.	6.	7.

जो चूटे लागू नहीं है, उसे काट दिया जाए। Non-applicable clause be struck out.

आई सूची पर सटीक अवलोकन संभव नहीं है वहाँ वर्तमान स्थिति के संबंध में अनुमानित मूल्य निर्धारित किया जाए।

In cases where it is not possible to assess the value accurately, the approximate value in relation to present conditions may be indicated.

\* अनुमानित मूल्य पर भी की जा सकती है। Indicators shown form page also.

निम्नी : संयोजक पर अपना नाम उसे केवल विधिगत संकाय (अवधारक) विवरण 1984 के नियम 18(1) के अधीन रखा जा सकता है। (नीमा) पर एक (अवधारक) संयोजक सदस्य द्वारा प्रयुक्त किया जा सकता है और इसमें परिवर्तन होने पर उस नियम के अधीन पर संयोजक द्वारा संयोजक के नाम में किया जा सकता है।

नी : The declaration form is required to be filed and submitted by every member of Class-I and class-II service under Rule 18(1) of the Central Civil Service (Conduct) Rules, 1964 in the first appointment to the service and thereafter at the interval of every year giving particulars of all immovable property owned, acquired or inherited by him or his or by him or her or through estate in his own name or in the name of any members of his family or in the name of any other person.

अधिकारी की हस्ताक्षर/Signature

दिनांक/Date

30/01/2017